# न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 150/2018

| अपीलान्ट्स | बनाम | रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| 1सीताराम पुत्र दयालराम जाति मेघवाल<br>2जालाराम पुत्र दयालराम जाति मेघवाल<br>निवासीगण खेरवाड तहसील जायल<br>जिला नागौर। | | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जायल। |

उपस्थिति :–
1. श्री कैलाश गालवा अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

**निर्णय** दिनांक:26.07.19

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 479/2016 सरकार बनाम सीताराम में निर्णय दिनांक 23.11.16 के तहत मौजा खेरवाड के खसरा नं. 232 रकबा 1 बीघा गै.मु. मगरा भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 10.05.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 18.05.18 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार जायल के प्रकरण सं. 479/16 सरकार बनाम सीताराम की पत्रावली की फोटोप्रति तथा ग्राम पंचायत डिडियाकलां मे लिये गये आबादी विस्तार के प्रस्ताव की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील अधिवक्ता उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट दिनांक 23.11.16 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ व जवाब मय दस्तावेज व साक्ष्य सबूत के पेश करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौखिक मे प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार कर लिया गया व प्रार्थी के हस्ताक्षर खाली आदेशिका पर करवा लिये व अपीलांट को जवाब का समय प्रदान कर दिया गया। अपीलांट भी अधीनस्थ न्यायालय से संतुष्ट होकर अपने घर आ गया व अपीलांट को यह कहा गया कि आपके खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप कर दी जावेगी, तब अपीलांट अचानक ही दिनांक 7.5.18 को पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट को 35 रू. के जुर्माना अदा करने का कहा गया, तो अपीलांट ने कारण पूछा तो अपीलांट को कहा गया कि आपके विरूद्व तो दिनांक 24.11.16 को ही बेदखली व जुर्माने के आदेश कर दिये गये थे, अब जल्द ही आपको बेदखल कर दिया जायेगा, तब अपीलांट ने अगले ही दिन अधीनस्थ न्यायालय से नकल के लिये आवेदन प्रस्तुत किया व दिनांक 09.05.18 को नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून तथ्यो व परिस्थितियो के विरूद्व साक्ष्य व रेकर्ड के विरूद्व तथा मौके की स्थिति के विरूद्व होने के अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।



अपर कलक्टर, नागौर

{2}(II)–खसरा नं. 232 गै.मु. मगरा की भूमि खेरवाड ग्राम के आबादी के चिपते आई हुई है, जिस पर अपीलांट व अन्य ग्रामीणो का पिछले 100 साल से अधिक का कब्जा स्थित है तथा ग्राम पंचायत डिडिया कलां द्वारा ग्राम खेरवाड मे पूर्व मे कभी भी आबादी विस्तार नही करवाया गया। हाल ही मे दिनांक 3.12.17 को ग्राम पंचायत डिडिया कलां मे ग्राम खेरवाड के खसरा नं. 215 व 232 को आबादी विस्तार के लिये आबादी मे लेने हेतु डिडियाकलां के अटल सेवा केन्द्र पर आम सभा का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता सरपंच धर्माराम चांगल के द्वारा की गई तथा जिसमे प्रस्ताव सं. 2 राजस्व ग्राम खेरवाड के उपरोक्त खसरान मे आबादी बसी हुई होने, पक्के मकान बने हुए होने तथा उक्त भूमि गै.मु. मगरे की भूमि होने एवं उक्त भूमि मे बसे मकानो व आबादी बसी हुई होने का प्रस्ताव श्रीमान जिला कलक्टर महोदय नागौर के समक्ष प्रस्तुत कर आबादी विस्तार हेतु निवेदन किया गया, अपीलांट का कब्जा उक्त गै.मु. मगरा खसरा नं. 232 जो आबादी के चिपते हुए आया हुआ है, उसमे स्थित है तथा टांका, पत्थर पतरो का पक्का निर्माण व पशु धन आदि बांधने तथा नीरा चारा डालने हेतु पिछले लंबे समय से काम मे लिये जा रहे है तथा उक्त बाडा के आगे ग्राम खेरवाड के 20–30 अन्य व्यक्तियो के बाडे व मकान भी स्थित है। इस कारण अपीलांट के पक्ष मे उक्त भूमि नियमन योग्य थी व है। जिसके संबंध मे अपीलांट के पक्ष मे उक्त भूमि नियमन योग्य थी व है। जिसके संबंध मे अपीलांट ने मौखिक निवेदन तहसीलदार जायल को कर जवाब प्रस्तुति हेतु समय चाहा, किन्तु अपीलांट को मुगालते मे रखकर सरसरी कार्यवाही अमल मे लाई गई व अपीलांट के विरूद्व निर्णय जैर अपील गलत रूप से पारित कर दिया गया, जो पोषणीय नही होने से खारिज होने योग्य है।

{2}(III)–अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर ही नही दिया एवं मात्र 20–22 दिनो मे ही अपीलांट का प्रकरण निस्तारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अल्प समय मे ही बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना जवाब व साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब अपीलांट उपस्थित हुआ था, तब अपीलांट को यह कहकर आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये थे कि आपकी उपस्थिति दर्ज करनी है व आपको जवाब व साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जायेगा, मगर उसी दिन ही अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज कर अपीलांट को मुगालते मे रखकर अपीलांट के विरूद्व दिनांक 24.11.16 को बेदखली व जुर्माना के आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है। जबकि पत्रावली पर एकतरफा कार्यवाही का अंकन है व दूसरी तरफ अपीलांट के हस्ताक्षर है। इससे भी स्पष्ट है कि अपीलांट उपस्थित था व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को मुगालते मे रखकर निर्णय जैर अपील पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(V)–निर्णय जैर अपील की तिथी 23.11.16 व 24.11.16 भिन्न भिन्न दर्ज की है। जो सरसरी तौर पर बिना जांच व प्रक्रिया को अमल मे लाये संपूर्ण कार्यवाही की गई है एवं अपीलांट दोनो उपस्थित होने के उपरांत भी दिनांक 24.11.16 की आदेशिका मे अपीलांट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी जाने का आदेश फरमाते हुए निर्णय जैर अपील पारित किया, जबकि आदेशिका पर अपीलांटस के हस्ताक्षर भी मौजूद है, जो कि आदेशिका के कथनो को सारहीन बना देते है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्व होने से निर्णय जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को खसरा नं. 232 मोजा खेरवाड पर अतिक्रमण का नोटिस दिया गया था, पटवारी रिपोर्ट ने उक्त बाबत एक नक्शा भी बनाया गया था, उस नक्शे मे कही भी नाप का उल्लेख नही किया गया है एवं न ही किस दिशा मे, कितने नाप पर अतिक्रमण किया है, इस बाबत मौका रिपोर्ट अस्पष्ट है व अस्पष्ट मौका रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का विधि सम्मत आदेश पारित करना न्याय संगत नही है, अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज कर विधिक त्रुटि कारित की है, जिससे निर्णय जेर अपील खारिज किये जाने योग्य है। यह संपूर्ण रिपोर्ट तहसील कार्यालय मे बैठकर बनायी हुई प्रतीत होती है। क्योकि पटवारी हल्का द्वारा न तो मौके पर जाकर मौका निरीक्षण किया गया, न ही मौके पर जाकर विधि सम्मत मुन्तकिल पाइंट निर्धारित कर नाप चोप किया, इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने मे निहित क्षेत्राधिकारो का गलत रूप से अवलंबन लेकर निर्णय जेर अपील पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VII)–अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय अत्यंत ही जल्दी एवं हडबडी रखते हुए निर्णय पारित किया है क्योकि प्रकरण मे न तो अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया गया व न ही



अपर कलक्टर, नागौर

जवाब हेतु अवसर दिया गया, मात्र जल्दबाजी पूर्वक अपीलांट को बेदखली करने के उद्देश्य से यह निर्णय जैर अपील पारित किया है, जिससे भी आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VIII)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक साइक्लो स्टाईल निर्णय है, यह निर्णय पूर्व मे ही टाईप किया हुआ है, इससे मात्र खाली स्थानो की पूर्ति के लिये नाम व खसरा नं. व जुर्माने का अंकन किया गया है, इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूर्व मे ही बेदखली का निर्णय पारित किया गया है तथा अपनी कार्यवाहियो के टारगेट की रिकार्ड मे पूर्ति के लिये यह निर्णय जैर अपील के नाम पर खानापूर्ति की गई है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(IX)–प्राकृतिक न्याय का यह सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्व निर्णय पारित करने से पूर्व उसे साक्ष्य, सबूत व जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये, मगर प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किये बिना व अपने मे निहित क्षेत्राधिकारो का गलत रूप से प्रयोग करते हुए निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट्स द्वारा मौजा खेरवाड में स्थित गै.मु. मगरा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट्स को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट्स को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके खेरवाड के खसरा नंबर 232 रकबा 1 बीघा गै.मु. मगरा भूमि पर अपीलांट्स का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट्स का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन मगरा है। जो सार्वजनिक उपयोगी भूमि होने से नियमन योग्य भी नही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार )
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर